न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

बईजलास श्वेता यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर कोटपूतली

प्रार्थना पत्र संख्या – 158 / 2016

1. मनिषा मीणा पुत्री श्री जीवनराम मीणा उम्र–13 वर्ष
2. भावना मीणा पुत्री श्री जीवनराम मीणा उम्र–8 वर्ष
   एक व दो नाबालिगान जरिए वली कुदरती माता खुद श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी श्री जीवनराम मीणा
3. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री जीवन मीणा समस्त मीणा निवासी ढाणी मीणा वाली तन राजनौता , तहसील– कोटपूतली, जिला – जयपुर, राजस्थान।

––प्रार्थी

बनाम

1. जीवन मीणा पुत्र श्री रूघाराम मीणा निवासी ढाणी मीणा वाली तन–राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर,राजस्थान।
3. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय,सब रजिस्ट्रार कार्यालय पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर,राजस्थान
4. कबूली देवी पत्नी श्री राजेश कुमार मीणा निवासी ढाणी मीणा वाली तन राजनौता , तहसील– कोटपूतली, जिला – जयपुर, राजस्थान।

––––अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

आदेश दिनांक : 27/2/18

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1458/0.33 वाकै मोजा राजनौता तहसील कोटपूतली के खातेदार काश्तकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 है उपरोक्त आराजी में प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व 3 के पति जीवनराम पुत्र रूघाराम संपूर्ण हिस्सा के बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है इससे पूर्व इनके बुजुर्ग रूघाराम बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज था। रूघाराम के मरने के उपरांत वारिस अप्रार्थी संख्या 01 काबिज हुआ इस प्रकार उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 की पैत्रिक भूमि है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 के पिता व 3 के पति है। उपरोक्त पैत्रिक संपत्ति से ही प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 परिवार का उक्त कृषि भूमि में होने वाली आय से भरण पोषण होता है एवं उपरोक्त पैत्रिक कृषि भूमि के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई कमाई का व भरण पोषण का कोई जरिया नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 शराबी व्यक्ति है एवं गांव के कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर गलत रास्ते से भटक गया है एवं शराब व जुआ वगैरा व अन्य कई प्रकार की गंदी लतों से घिर गया है एवं आदतन शराबी व जुआरी हो गया है एवं अप्रार्थी संख्या 01 गंदी आदतों को पूरा करने के लिए उपरोक्त आराजी मुतदाविया पैत्रिक संपत्ति को बेचान करने पर आमादा हो रहा है तथा प्रार्थीगण को उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहा है। प्रार्थीगण के समझाने पर भी नहीं मान रहा यदि अप्रार्थी अपने मंसूबों में कामयाब होता है तो प्रार्थीगण को अजहद नुकसान होगा जिसकी पूर्ति द्रव्य में संभव नहीं हो सकेगी। अतः अप्रार्थीगण को तादौराने वाद पाबंद फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर तथा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकारते हुए निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1458/0.33 वके मोजा राजनोता के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 थे। जिन्होने

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

उपरोक्त आराजी को जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 04 को बेचान कर दिया था एवं भूमि का संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा मौके पर अप्रार्थीया संख्या 04 बतौर खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण का उपरोक्त आराजी मुतदाविया से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अप्रार्थीया संख्या 01 अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू लॉ लागू नहीं होता है एवं उपरोक्त आराजी के अप्रार्थी संख्या 01 खातेदार काश्तकार काबिज थे जिन्होने प्रतिफल की राशि प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 04 को उक्त भूमि का बेचान कर दिया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 जाति से मीना है एंव अनुसूचित जनजाति में आते है इसलिए हिन्दू कानून प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण पर लागू नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 ने उपरोक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 04 को प्रतिफल की संपूर्ण को संभला दिया एवं उक्त आराजी से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं रह जाता है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के संपूर्ण तथ्य मनघडंत एंव बेबुनियाद प्रस्तुत किये गये है अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने पूर्ण होशो हवास में उपरोक्त भूमि का संपूर्ण प्रतिफल अप्रार्थी संख्या 04 से प्राप्त कर भूमि का विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 04 के हक में करवा मोके पर कब्जा संभला दिया था। प्रार्थीयागण के मन में बदनियती आ गयी है एवं अप्रार्थी संख्या 04 के द्वारा जरिये रजिस्ट्री खरीदशुदा भूमि को हडपने की नियत से उपरोक्त झूठा व वेबुनियाद वाद पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर एवं प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकारते हुए निवेदन किया आराजी हाल खसरा नम्बर 1458/0.33 वाके मोजा राजनोता के खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 है,प्रार्थीगण का उपरोक्त आराजी मुतदाविया से कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 जाति से मीणा है तथा अनुसूचित जनजाति में आता है एवं हिन्दू कानून प्रार्थीयागण पर लागू नहीं है। प्रार्थीयागण के मन में बदनियती आ गयी है तथा भूमि को हडपने की नियत से उपरोक्त झूठा व वेबुनियाद वाद पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी में प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व 3 के पति जीवनराम पुत्र रूघाराम संपूर्ण हिस्सा के बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है इससे पूर्व इनके बुजुर्ग रूघाराम बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज था। रूघाराम के मरने के उपरांत वारिस अप्रार्थी संख्या 01 काबिज हुआ इस प्रकार उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 की पैत्रिक भूमि है। अप्रार्थी संख्या 01 गंदी आदतों को पूरा करने के लिए उपरोक्त आराजी मुतदाविया पैत्रिक संपत्ति को बेचान करने पर आमादा हो रहा है तथा प्रार्थीगण को उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए पाबंद फरमावे।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 ने उपरोक्त आराजी को जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 04 को बेचान कर दिया था एवं भूमि का संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा मौके पर अप्रार्थीया संख्या 04 बतौर खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण का उपरोक्त आराजी मुतदाविया से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अप्रार्थीया संख्या 01 अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू लॉ लागू नहीं होता है एवं उपरोक्त आराजी के अप्रार्थी संख्या 01 खातेदार काश्तकार काबिज थे जिन्होने प्रतिफल की राशि प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 04 को उक्त भूमि का बेचान कर दिया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने पूर्ण होशो हवास में उपरोक्त भूमि का संपूर्ण प्रतिफल अप्रार्थी संख्या 04 से प्राप्त कर भूमि का विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 04 के हक में करवा मोके पर कब्जा संभला दिया था। प्रार्थीयागण के मन में बदनियती आ गयी है एवं अप्रार्थी संख्या 04 के द्वारा जरिये रजिस्ट्री खरीदशुदा भूमि को हडपने की नियत से उपरोक्त झूठा व वेबुनियाद वाद पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

उभय पक्षो की बहस सुनने के उपरान्त तीन बिन्दुओ प्रथम दृष्टया केस, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन के अनुसार निर्णय निम्न प्रकार है –

प्रथम दृष्टया केस – प्रार्थी वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थी ने कथन किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 है उपरोक्त आराजी में प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व 3 के पति जीवनराम पुत्र रूघाराम संपूर्ण हिस्सा के बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है इससे पूर्व इनके बुजुर्ग रूघाराम बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज था। रूघाराम के मरने के उपरांत वारिस अप्रार्थी संख्या 01 काबिज हुआ इस प्रकार उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 की पैत्रिक भूमि है। अप्रार्थीगण के कथनानुसार की प्रार्थी संख्या 01 ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विवादग्रस्त आराजी के बेचान अप्रार्थी संख्या 04 को कर दिया था परंतु अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर रखा जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी ने अप्रार्थी को भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा किया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित है।

अपूरणीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन– पक्षकारान के मध्य स्थाई निषेधाज्ञा का दावा है जिसमें प्रार्थी ने प्रथम दृष्टया केस का बिंदू साबित किया है, इससे स्पष्ट है कि यदि अप्रार्थीगण आराजीयात का दिगर व्यक्तियों को रहन बेचान करते है अथवा मौके की स्थिती में परिवर्तन करने है तो प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

उक्त तीनों बिंदू प्रथम दृष्टया केस, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है। इससे स्पष्ट है कि आराजी मुतदाविया पर रहन करने के लिए पाबंद किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है इसलिए विवादग्रस्त आराजी पर रहन कर सकते है एवं उभयपक्षकारान को न्यायालय आदेश दिनांक 17.08.2016 कनफर्म कर जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से से पाबंद किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1458/0.33 वाके मोजा राजनौता तहसील कोटपूतली के तादौराने वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 27/2/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)